रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 185] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 15, 1973/वैशाख 25, 1895

No. 185] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 15, 1973/VAISAKHA 25, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

*New Delhi, the 14th May 1973*

S.O. 281(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 6 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby directs that the exhibition of the film entitled "YE GULISTAN HAMARA" (Hindi) which has been granted a 'U' Certificate No 71637, dated 30th December 1972 by the Central Board of Film Censors, be suspended for a period of two months with effect from the date of issue of this Notification.

[No 9/10/73-FC.]

HARJIT SINGH, Under Secy.

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 1973

एस० ओ० 281(अ).—चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि "यह गुलिस्तान हमारा" (हिन्दी) नामक फिल्म, जिसे केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा 'यू' प्रमाण-पत्र संख्या 71637, तारीख 30–12–72 प्रदान किया गया था, का प्रदर्शन सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास के लिए रोक दिया गया है।

[सं० 9/10/73–एफ० सी०]

हरजीत सिंह, अवर सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973